केंद्रीय विद्यालय ओ.ई.एफ़. कानपुर
KENDRIYA VIDYALAYA OEF KANPUR

दिनांक 07-04-2022

सत्र 2022-23 के लिए कक्षा 2 में प्रवेश पंजीकरण हेतु सूचना

1. **केवल कक्षा 2 में बहुत ही सीमित रिक्तियों** के सापेक्ष (प्रवेश के समय रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है) प्रवेश हेतु **पंजीकरण फॉर्म निर्धारित प्रारूप में दिनांक 08-04-2022 से 16-04-2022** तक आमंत्रित किए जाते है।
2. पंजीकरण फॉर्म विद्यालय से प्राप्त कर एवं उसे पूर्ण रूप से भरकर सभी संलग्नों के साथ विद्यालय मे **दिनांक 08-04-2022 से 16-04-2022 तक प्रात: 10:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक जमा** किया जा सकता है।
3. कक्षा 2 में प्रवेश के लिए अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों की **सूची दिनांक 21-04-2022 को शाम 4 बजे जारी की जाएगी**। अनंतिम रुप से चयनित अभ्यर्थियों का **प्रवेश दिनांक 22-04-2022 से 28-04-2022 तक प्रात: 10:00 बजे से अपराहन 01:00 बजे तक** किया जायेगा।
4. सभी प्रवेश अभिभावक की सेवा श्रेणी के क्रम में केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी प्रवेश दिशा-निर्देश 2022-23 के अनुसार एवं प्रपत्रों के सत्यापन उपरांत ही किए जाएँगे।
5. अभिभावक अपने पाल्य को प्रवेश के दिन अवश्य साथ लाएं।
6. अनंतिम चयनित अभ्यर्थियों की सूची मेँ नाम होने मात्र से अभ्यर्थी प्रवेश का हकदार नहीं होगा।
7. जाली दस्तावेजों / तथ्यों का गलत रुप से प्रस्तुतीकरण / निर्धारित समय के अंदर वांछित दस्तावेजों को उपलब्ध न करा पाना, जैसी स्थितियों में विद्यालय प्रशासन को प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार है।
8. प्रवेश के समय निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लगाना अनिवार्य है।
   - I विद्यार्थी की अंतिम कक्षा का स्थानांतरण प्रमाणपत्र (TC) एवं परीक्षा परिणाम।
   - II विद्यार्थी का जन्म प्रमाण पत्र (नगरपालिका द्वारा जारी इंटरनेट कॉपी / सेवा पुस्तिका की प्रमाणित प्रति)
   - III निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / फोन बिल / बिजली बिल / गैस कनैक्शन / ड्राइविंग लाइसेंस आदि)
   - IV विद्यार्थी का जाति प्रमाण पत्र (ऑनलाइन कॉपी)
   - V एकल पुत्री प्रमाण पत्र (रु. 100 के गैर न्यायिक स्टांप पेपर पर प्रथम श्रेणी मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र)
   - VI विद्यार्थी की ब्लड ग्रुप रिपोर्ट
   - VII विद्यार्थी का आधार कार्ड
   - VIII अभिभावक का ईमेल
   - IX विभाग द्वारा जारी नवीनतम सर्विस प्रमाण पत्र (डीडीओ के नाम, पद, हस्ताक्षर एवं फोन नं. के साथ)
   - X विद्यालय से आवास की दूरी का प्रमाण पत्र,
   - XI मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी दिव्यांग प्रमाण पत्र (विकलांग), आदि
9. किसी भी अनंतिम चयनित अभ्यर्थी का प्रवेश दिनांक 28-04-2022 के बाद नहीं लिया जायेगा।
10. प्रवेश हेतु अभिभावक को नियमानुसार निर्धारित शुल्क का भुगतान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में (ऑनलाइन अथवा काउंटर पर) निर्धारित अवधि में ही किया जाना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश निरस्त कर दिया जाएग।
11. केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पत्रांकF. 110240/04/2013/KVS/Budget दिनांक 19-03-2013 के प्रावधानों के अनुसार सेवा श्रेणी 1 से 4 के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को सामान्यतः किसी प्रकार की छूट देना संभव नहीं होगा। उक्त छूट प्राप्त करने हेतु सेवा श्रेणी 1 से 4 तक के आवेदक को अपने विभाग से बाल शिक्षा भत्ता की प्रतिपूर्ति का अधिकारी न होने का विभागीय डी.डी.ओ. द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

प्राचार्य